-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अपराधियो की गिरफ्तारी व रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिहं के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त **दानिश पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला गाडान अम्बेहटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को जे0वी0 जैन कॉलेज के मैन गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का बरामद हई । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0स0-144/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि यह शराब मै हरियाणा से बेचने के लिये लाया था। पहले भी हरियाण से लाकर मैने शराब बेची थी । मै हरियाणा से ठेके से शराब खरीदकर लाता हूँ । वहाँ शऱाब बहुत सस्ती मिलती है और यहाँ जगह जगह घूम घूमकर मै शराब बेच देता हूँ जिससे मुझे पैसे बच जाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला गाडान अम्बेहटा पीर थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 283/21 धारा 3(2)(v) sc /st act व धारा 307 भा0द0वि0 थाना नकुड सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 12 बोतल अवैध देशी शराब मालटा हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 प्रवेज कुमार, थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. का 2413 0जगदीश कुमार कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.04.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष एडीजे-14 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः –

अवगत कराना है, कि दिनांक 08.12.2014 को वादी अब्दुल कमाल पुत्र अब्दुल गफूर नि0 ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर की पुत्री गुलजमानी को अभियुक्त हैदर पुत्र शरीफ निवासी ग्राम सिरसला थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को अपहरण कर, उसकी हत्या कर शव को छिपा देने की सूचना पर मु0अ0सं0 518/2014 धारा 364,302,201 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 501/2015 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या-14 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष कक्ष संख्या- 14 जनपद, सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 06.04.2024 को अभियुक्त हैदर पुत्र शरीफ को मु0अ0सं0 518/2014 धारा 364,302,201 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री मेघराज सैनी मो0 नं0-9897647390
विवेचक सेवानिवृत निरीक्षक श्री मुनीष चन्द्र मो0 नं0-9690240070
पैरोकार हे0का0 276 मैनीपाल थाना नकुड सहारनपुर।

दिनांक - 06.04.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 05.04.2024 को वादिया द्वारा थाना जनपकुरी उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त करन पुत्र राजु निवासी किराये का मकान कृष्णा धाम कालोनी थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र लगभग 16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 71/24 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपहृता की शीघ्र सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए अभियुक्त **करन पुत्र राजु निवासी किराये का मकान कृष्णा धाम कालोनी थाना जनकपुरी सहारनपुर** को जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। तथा पीड़िता के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो अधि0 की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

करन पुत्र राजु निवासी किराये का मकान कृष्णा धाम कालोनी थाना जनकपुरी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. उ0नि0 श्री पीयूष कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0कां0 113 विकास कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0कां0 218 अय्यूब अली, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
4. म0है0कां0 133 अमरलता, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।